न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
27/2011	27/02/2020	21.11.2025

छीताबाई पुत्री शंकर जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा

–वादीनी–

बनाम

1. बिरधा पुत्र भूरया जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा मृतक (कायम मुकामान)–
   1/1 गोपाली बेवा बिरधा जाति बैरवा नि0 झौपडिया
   1/2 गजानन्द पुत्र बिरधा जाति बैरवा नि0 झौपडिया
   1/3 रेखा बाई पुत्री बिरधा जाति बैरवा नि0 झौपडिया
   1/4 अनामिका पुत्री बिरधा जाति बैरवा नि0 झौपडिया
   1/5 आदित्य पुत्र बिरधां जाति बैरवा नि0 झौपडिया
2. मियाराम पुत्र भूरया जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा मृतक (कायम मुकामान)
   2/1 केलाबाई पत्नि मियाराम जाति बैरवा नि0 झौपडिया
   2/2 हेमराज पुत्र मियाराम जाति बैरवा नि0 झौपडिया
   2/3 राजेन्द्र पुत्र मियाराम जाति बैरवा नि0 झौपडिया
   2/4 पप्पूलाल पुत्र मियाराम जाति बैरवा नि0 झौपडिया
3. नेहनू पुत्र ग्यारसिया जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा मृतक (कायम मुकामान) –
   3/1 मूलीबाई पत्नी नेहनू
   3/2 कल्याण पुत्र नेहनू
4. मोती पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा
5. रामकरण पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा
6. अमृतलाल पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा
7. कस्तूरी पुत्री गणेश जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा
8. चमेली पुत्री गणेश जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा
9. फूमा बेवा गणेश जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा

– प्रतिवादीगण–

वकील वादी – श्री नन्दकिशोर पारेता एड0।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

Scanned with OKEN Scanner

वकील प्रतिवादी – श्री सी0एल0 जाटवा एड0।

अन्तर्गत धारा 53,54 आर.टी.एक्ट

–:निर्णय:–

वादीनी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम देवनीमडी के माल मे निम्न ख0नं0 89 रकबा 0.89 है0, ख0नं0 103 रकबा 0.34 है0, ख0नं0 104 रकबा 0.66 है0, ख0नं0 105 रकबा 1.07 है0, ख0नं0 106 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 107 रकबा 0.75 है0 कुल किता 6 रकबा 4.06 है0 की भूमियां स्थित है। जिनमें वादीनी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण नं0 3 लगायत 9 का 1/2 हिस्से के सहखातेदारा दर्ज है। विवादग्रस्त भूमियो को वादीनी एवं प्रतिवादीगण काविज होकर काश्त करते चले आ रहे है और लगान राज अदा करते चले आ रहे है। वादीनी एवं प्रतिवादीगण लगायत 9 के मध्य राजस्व अभिलेखो में कानूनी विभाजन नहीं हुआ है और आराजी पृथक–पृथक खाते दर्ज नहीं हुई है। इस कारण वादीनी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 के मध्य आपस में लगान व फसल के बंटवारे एवं आराजी के संबंध में तनाव व सिंचाई आदि जमा करवाने में काफी अडचन आती है। इसलिए उपरोकत आराजी में से चादीनी के हिस्से का बटवारा कराना व पृथक लगान कायम करवाने हेतु दावा लाना आवश्यक हो गया है। वाद कारण संवत 2055 में उत्पन्न हुआ जब वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण 1 हेतु कहने पर उनके द्वारा मना करने लगायत 9 से आराजी विभाजन व लगान अलग कराने हेतु पर हुआ। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात का विभाजन किया जाकर वादीनी के 1/4 हिस्से की लगान कायम अलग से किया जावे तथा वादिनी के अपने 1/4 हिस्से का अमल दरामद राजस्व अभिलेखो में अलग से कायम किये जाने की डिकी सादिर फरमाई जावे।

दावा वादनी दर्ज रजि0 किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 9 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर वादनी के वाद पत्र को अस्वीकर करते हुए कहा कि हमारे पूर्वज ग्राम तलाव के मूल निवासी थे, हमारे बाबा दो भाई ग्यारसा, पाचूं थे तथा पांचू के कोई संतान नहीं थी जबकि ग्यारसा के लडके भूरा, शंकर, गणेश, नौन्दा व दो लड़किया भूरी बाई व मन्नी बाई थी। पांचूलाल संतानहीन होने के कारण शंकर पांचूलाल के गोद चला गया था। इस प्रकार ग्यारसा राम के तीन लडके रह गये, पांचूलाल की मृत्यु ग्राम तलाव में हुई थी। जिसके मृत्यु के बाद पांचू की और शंकरलाल को अपने साथ अपने पीहर ग्राम लौसाडा में ले गयी और पीछे अब तीनो भाई भूरा, गणेश, नौन्दा जी रह गये अब भूरा, गणेश, नौन्दा जो तीनो भाई थे। कुछ दिन बाद ग्राम तलाव को छोड अन्य ग्राम तलाव की औपडिया में आकर बस गये। इन्होने अपनी जी जान से मेहनत करके अपना गुजर बसर के लिए कुछ जमीन जोती और उसे कृषि योग्य बनाया। बीस वर्ष तक शंकरलाल ग्राम लसोडा में रहा जिसके नुत्फे से एक लडकी केसर नाम से हुई, सहयोगवश उसी दौरान उसकी मां नाथी बाई का स्वर्गवास हो गया। शंकरलाल जी कुष्ठ रोग बीमारी से ग्रस्त होने के कारण अपने भाईयो के पास ग्राम झौपडिया में आ गया। उसके कुछ दिन बाद नैनकी बाई नाम औरत इसके नाते बैठ गई जो पूर्व में भागीरथ की औरत थी।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

Scanned with OKEN Scanner

भागीरथ के द्वारा नेनकी बाई के नुत्फे से एक लड़की पैदा हुई जिसका पालन पोषण शकर द्वारा किया गया तत्पश्चात नैनकीबाई फिर शंकर जी को छोड़कर लाखेरी में किसी अन्य के यहा नाते बैठ गई वहां से फिर निकल कर नोताडा में जाकर अपने समाज में नाते बैठ गई जो अभी वहां है।

छीता बाई छोटी से बडी ग्राम झौपडिया में हुई एवं इसके कोई वारिसान नहीं होने से इसकी शादी हमारे द्वारा कराई गई। इससे स्पष्ट है कि छीताबाई शंकरजी की पुत्री नहीं है। शंकर जी की वास्तविक पुत्री केसर बाई थी, जो कि शादी के बाद अपने ससुराल में बीमार होने की वजह से कभी की ही मर चुकी है। छीता बाइ शादी के बाद कभी झौपडिया में नहीं रही है और वाद पत्र में वर्णित ख०नं० की आराजी पर कब्जा व काश्त की है। वाद पत्र में वर्णित आराजी हमारे बाबा ग्यारसा द्वारा नहीं जाती है बल्कि यह जमीन हमारे पिसरान भूरा, गणेश, नोन्दा द्वारा जोती गई है और तब से ही वह इस जमीन पर काश्त कर रहे है। शंकरलाल जी जब लसौड से आया था तो कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने की वजह से ख०नं० 89 रकबा 0.89 है० की आराजी हमारे पिता भूरा, नौन्दा, गणेश ने मिलकर इसे मात्र गुजर बसर करने के लिए दी थी क्योंकि उसके पास कोई अन्य आय का जरिया नही था तथा जब शंकर मरा था तो मरने से पूर्व इस जमीन को समस्त ग्रामवासियान के समक्ष अपने हाथ से बंटवारा कर तीन हिस्से बनाकर हमारे पिता जी तीनो भाईयो भूरा, गणेश नोन्दा को वापिस दे गया। तब से हमारे पिता उस कृषि आराजी पर कब्जा काश्त करने लगे तथा उनके पश्चात हम कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजी पर वादीनी का कभी कब्जा नहीं रहा। इसलिए बंटवारा प्राप्त करने की अधिकरिणी नही है। वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे।

वाद पत्र व प्रतिवादपत्र के आधार पर प्रकरण में निम्न चार तनकीयात कायम की गई :-

तनकी नं० 1:- आया ग्राम देवनीमडी तह० पीपल्दा में वादिया का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं० 1 व 2 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं० 3 लगायत 9 का 1/2 हिस्से के खातेदार कृषक है।

(वादीनी)

तनकी नं० 2 :- आया वादिनी एवं प्रतिवादीगण विवादित भूमि के विभाजन करा अलग खाता व लगान दर्ज कराने के पात्र है।

(वादीनी)

तनकी नं० :- आया विवादित भूमि में वादनी का कोई हिस्सा नहीं है।

(प्रतिवादी)

तनकी नं० 4 सहायता

वादनी द्वारा साक्ष्य में नकल जमाबन्दी ग्राम देवनीमडी संवत 2052-55 जिसके खातेदारान विरधा, मियाराम पिसरान भूरया 1/4, छीतापुत्री शंकर 1/4 नेहनू पुत्र ग्यारसा, मोती, रामकरण, अमृतलाल पुत्र गणेश कस्तूरी, चमेली पुत्री गणेश, फूमा वेवा गणेश हिस्सा 1/2 कोम चमार सा० औपडिया प्रदर्श । तथा शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 1 छीता, पी.डब्ल्यू. 2 अमरलाल, पी.डब्ल्यू. 3 लक्ष्मण पेश

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

Scanned with OKEN Scanner

भागीरथ के द्वारा नेनकी बाई के नुत्फे से एक लडकी पैदा हुई जिसका पालन पोषण शंकर द्वारा किया गया तत्पश्चात नैनकीबाई फिर शंकर जी को छोडकर लाखेरी में किसी अन्य के यहा नाते बैठ गई वहां से फिर निकल कर नोताडा में जाकर अपने समाज मे नाते बैठ गई जो अभी वहां है।

छीता बाई छोटी से बडी ग्राम झौपडिया में हुई एवं इसके कोई वारिसान नहीं होने से इसकी शादी हमारे द्वारा कराई गई। इससे स्पष्ट है कि छीताबाई शंकरजी की पुत्री नहीं है। शंकर जी की वास्तविक पुत्री केसर बाई थी, जो कि शादी के बाद अपने ससुराल में बीमार होने की वजह से कभी की ही मर चुकी है। छीता बाइ शादी के बाद कभी झौपडिया में नहीं रही है और वाद पत्र में वर्णित ख०नं० की आराजी पर कब्जा व काश्त की है। वाद पत्र में वर्णित आराजी हमारे बाबा ग्यारसा द्वारा नहीं जाती है बल्कि यह जमीन हमारे पिसरान भूरा, गणेश, नोन्दा द्वारा जोती गई है और तब से ही वह इस जमीन पर काश्त कर रहे है। शंकरलाल जी जब लसौड से आया था तो कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने की वजह से ख०नं० 89 रकबा 0.89 है० की आराजी हमारे पिता भूरा, नौन्दा, गणेश ने मिलकर इसे मात्र गुजर बसर करने के लिए दी थी क्योकि उसके पास कोई अन्य आय का जरिया नही था तथा जब शंकर मरा था तो मरने से पूर्व इस जमीन को समस्त ग्रामवासियान के समक्ष अपने हाथ से बंटवारा कर तीन हिस्से बनाकर हमारे पिता जी तीनो भाईयो भूरा, गणेश नोन्दा को वापिस दे गया। तब से हमारे पिता उस कृषि आराजी पर कब्जा काश्त करने लगे तथा उनके पश्चात हम कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजी पर वादीनी का कभी कब्जा नहीं रहा। इसलिए बंटवारा प्राप्त करने की अधिकरिणी नही है। वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे।

वाद पत्र व प्रतिवादपत्र के आधार पर प्रकरण में निम्न चार तनकीयात कायम की गई :–

तनकी नं० 1:– आया ग्राम देवनीमडी तह० पीपल्दा में वादिया का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं० 1 व 2 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं० 3 लगायत 9 का 1/2 हिस्से के खातेदार कृषक है।

(वादीनी)

तनकी नं० 2 :– आया वादिनी एवं प्रतिवादीगण विवादित भूमि के विभाजन करा अलग खाता व लगान दर्ज कराने के पात्र है।

(वादीनी)

तनकी नं० :– आया विवादित भूमि में वादनी का कोई हिस्सा नहीं है।

(प्रतिवादी)

तनकी नं० 4 सहायता

वादनी द्वारा साक्ष्य में नकल जमाबन्दी ग्राम देवनीमडी संवत 2052–55 जिसके खातेदारान विरधा, मियाराम पिसरान भूरया 1/4, छीतापुत्री शंकर 1/4 नेहनू पुत्र ग्यारसा, मोती, रामकरण, अमृतलाल पुत्र गणेश कस्तूरी, चमेली पुत्री गणेश, फूमा बेवा गणेश हिस्सा 1/2 कोम चमार सा० औपडिया प्रदर्श । तथा शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 1 छीता, पी.डब्ल्यू. 2 अमरलाल, पी.डब्ल्यू. 3 लक्ष्मण पेश

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

Scanned with OKEN Scanner

किए। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य प्रतिवादी बद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने वाद प्रति०नं० 3 की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकामान को रेकार्ड पर लिया गया। हस्तगत प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी कोटा से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है कि न्यायालय हाजा द्वारा रिकॉर्ड पर लिये गये दस्तावेजात पर पक्षकारान की सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। बहस सुनी गई। बहस के तथ्यो पर गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रकरण दर्ज रजि0 किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तोवज पंचनामा ग्राम झोपडिया जिसपर ग्राम वासियों के साथ ही पाना बाई वार्ड पंच व सरपंच लेखराज सिंह के भी हस्ताक्षर है, एवं जागापोथी पेश की। जागापोथी का हिन्दी रूपान्तरण श्री नाथूलाल जागा ग्राम नागदा ने लिखकर दिया है। जो शामिल पत्रावली है। पंचनामा एवं जागापोथी के रूपान्तरण में बताया गया है कि ग्यारसा व पांच्या दो भाई थे। ग्यारसा के चार पुत्र शंकर, भूरा, गणेश, नन्दा थे, एवं पांच्या लाऔलाद था। पांच्या ने अपने भाई ग्यारसा के बेटे शंकर को गोद ले लिया। शंकर की पत्नि नाथी फोत हो गई और शंकर का कुटुम्बी भाई भागीरथ फोत हो गया। अतः भागीरथ की पत्नि नैनकी भागीरथ की पत्नि नैनकी भागीरथ से पैदा हुई 1 वर्ष की छीता को लेकर शंकर के नाते आ गई। एक वर्ष बाद नैनकी छीता को शंकर के यहा छोडकर अन्यत्र नाते चली गई। इस प्रकार छीता भागीरथ की पुत्री थी व भागीरथ की मृत्यु के पश्चात छीता की मां नैनकी द्वारा शंकर से नाता कर लेने पर एवं 1 वर्ष नाता के पश्चात छीता को शंकर के पास छोडकर अन्यत्र नाते चले जाने के कारण छीता का लालन पालन शंकर ने ही किया था। शंकर के कोई भी औलाद नहीं थी और छीता उसकी पत्नि के पूर्व पति से उत्पन्न सन्तान थी। छीता शंकर द्वारा लालन पालन करने एवं शंकर के कोई और सन्तान नहीं होने के कारण ही विरासत का नामा0 दर्ज करते समय शंकर की विरासत छीता के नाम कर दी गई। जबकि शंकर लाऔलाद फोत हुआ था और शंकर की विरासत शंकर के शेष तीन भाईयों/भाईयों के परिवारजनों के नाम जाना चाहिए था। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय के अनुसार शामिल दस्तावेज जागापोथी का अनुवाद एवं पंचनामा से छीता शंकर की पुत्री सिद्ध नहीं है। गलती से गलत दर्ज की गई प्रविष्टि को भी सही किया जाना आवश्यक है। परन्तु प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में इस प्रकार का कोई अनुतोष नहीं मांगा है और ना ही कोई कान्उटर क्लेम किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है :-

तनकी नं० 1 :- इस तनकी का भार वादनी पर था। पंचनामा एवं जागापोथी के अनुवाद के आधार पर वादनी भागीरथ की बेटी थी और भागीरथ की मृत्यु के बाद वादनी की मां वादनी की 1 वर्ष की आयु में नाता कर शंकर के बैठ गई थी और शंकर के साथ लगभग 1 वर्ष ही रही और वादिनी को शंकर के पास छोडकर अन्यत्र नाते चली गई। बिना मां बाप के छीता का लालन पालन शंकर ने ही किया था और इसी कारण लोग वादिनी को शंकर की बेटी समझ

उपखण्ड अधिकारी
झटवा

Scanned with OKEN Scanner

रहे थे जबकि वास्तव में वादिनी छीता भागीरथ की बेटी थी। वादनी इस तनकी को सिद्ध करने में असमर्थ रही है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादनी तय की जाती है।

तनकी नं0 2 :– इस तनकी का भार वादनी पर था। तनकी नं0 1 के अनुसार जब वादनी शंकर की पुत्री सिद्ध ही नहीं हो रही है तो फिर विवादित भूमि का विभाजन करा अलग खाता में लगान दर्ज करवाने की पात्रता भी नहीं रखती है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादनी तय की जाती है।

तनकी नं० 3:– इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा पेश पंचनामा एवं जागापोथी के अनुवाद से वादनी शंकर की पुत्री सावित नहीं हुई है। अतः वादनी का उक्त विवादित भूमि में कोई हिस्सा नहीं बनता है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0 4 सहायता जाने योग्य है। सभी तनकीयों के विश्लेषण से छीता का दावा स्वीकार योग्य नहीं है परन्तु प्रतिवादीगण ने भी अपने जवाब दावे में यह बात कही भी अंकित नहीं की है कि वादिनी का नाम खाते से हटा दिया जावे ना ही कोई काउण्टर क्लेम पेश किया है। जिससे गलत प्रविष्टि को हटाई जा सके। यदि वाद को खारिज करने के पश्चात भी प्रतिादीगणों द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहे जाने पर या कोई काउन्टर क्लेम नहीं करने पर गलत प्रविष्टि यथावत रखी जाती है तो आगे से फिर अनेक तरह के विवाद पैदा होगें। जससे अनावश्यक वादो की बहुलता बढ़ेगी।

अतः सिविल प्रकिया संहित 1908 की धारा 151 में अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्याय सुनिश्चित करने एवं वादो की बहुलता को रोकने के उद्देश्य से यह न्यायालय वादी का वाद खारिज कर तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम देवनीमडी के आराजी माल में निम्न ख0नं0 89 रकबा 0.89है0, ख0नं0 103 रकबा 0.34है0, ख0नं0 104 रकबा 0.66है, ख0नं0 105 रकबा 1.07है0, ख0नं0 106 रकबा 0.35है0, ख0नं0 107 रकबा 0.75है0, कुल किता 6 कुल रकबा 4.06है0 में दर्ज छीता पुत्री शंकर हि0 1/4 का नाम विलोपित करे। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
27/2011	27/02/2020	21.11.2025

छीताबाई पुत्री शंकर जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा

–वादीनी–

बनाम

1. बिरधा पुत्र भूरया जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा मृतक (कायम मुकामान)–

1/1 गोपाली बेवा बिरधा जाति बैरवा नि0 झौपडिया

1/2 गजानन्द पुत्र बिरधा जाति बैरवा नि0 झौपडिया

1/3 रेखा बाई पुत्री बिरधा जाति बैरवा नि0 झौपडिया

1/4 अनामिका पुत्री बिरधा जाति बैरवा नि0 झौपडिया

1/5 आदित्य पुत्र बिरधा जाति बैरवा नि0 झौपडिया

2. मियाराम पुत्र भूरया जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा मृतक (कायम मुकामान)

2/1 केलाबाई पत्नि मियाराम जाति बैरवा नि0 झौपडिया

2/2 हेमराज पुत्र मियाराम जाति बैरवा नि0 झौपडिया

2/3 राजेन्द्र पुत्र मियाराम जाति बैरवा नि0 झौपडिया

2/4 पप्पूलाल पुत्र मियाराम जाति बैरवा नि0 झौपडिया

3. नेहनू पुत्र ग्यारसिया जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा मृतक (कायम मुकामान) –

3/1 मूलीबाई पत्नी नेहनू

3/2 कल्याण पुत्र नेहनू

4. मोती पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा

5 रामकरण पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा

6. अमृतलाल पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा

7. कस्तूरी पुत्री गणेश जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा

8. चमेली पुत्री गणेश जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा

9. फूमा बेवा गणेश जाति बैरवा निवासी देव नीमडी हाल सुमेर नगरकी झौपडिया तहसील पीपल्दा

10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

Scanned with OKEN Scanner

– प्रतिवादीगण–

वकील वादी – श्री नन्दकिशोर पारेता एड0।
वकील प्रतिवादी – श्री सी0एल0 जाटवा एड0।

अन्तर्गत धारा 53,54 आर.टी.एक्ट

–:निर्णय:–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलालू कतई रूबरू वहाजिरी श्री नन्दकिशोर पारेता एडवोकेट मिनजानिब मुददई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सिविल प्रकिया संहित 1908 की धारा 151 में अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्याय सुनिश्चित करने एवं वादो की बहुलता को रोकने के उद्देश्य से यह न्यायालय वादी का वाद खारिज कर तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम देवनीमडी के आराजी माल में निम्न ख0नं0 89 रकबा 0.89है0, ख0नं0 103 रकबा 0.34है0, ख0नं0 104 रकबा 0.66है, ख0नं0 105 रकबा 1.07है0, ख0नं0 106 रकबा 0. 35है0, ख0नं0 107 रकबा 0.75है0, कुल किता 6 कुल रकबा 4.06है0 में दर्ज छीता पुत्री शकर हि0 1/4 का नाम विलोपित करे। तदनुसार डिकी जारी की जाती है। डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 21.11.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्रमनामा			बाबत इजराय हुक्रमनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा